(नियम – 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम

बनाम

मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 128 भू.रा. अधि. भूमिधारी नीमकाथाना

मु. नं. 510 सन् 2022 जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिश्ता होकर प्रार्थना पत्र पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस / रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 13.10.2022 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) 13/10/22 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ [illegible] आज अदालती [illegible] रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/10/22 को पेश हो। 27/10/22 वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी बावजूद समयक तामील अनुपस्थित। अत: अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 15.11.22 को पेश हो। 15/11/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 21-11-2022 को पेश हो।	

21.11.22 पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी के विरुद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी स्थित खसरा नंबर 2483 रकबा 0.53 हैक्टे0, 2485 रकबा 0.17 हेक्टे0 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। जिसका बाद सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कराने के प्रार्थी को विधिक अधिकार है। अतः प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथनपुरी स्थित खसरा नंबर 2483 रकबा 0.53 हैक्टे0, 2485 रकबा 0.17 हेक्टे0 की प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2022 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner